प्रेस विज्ञप्ति

किसानों की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में।

किसानों की आबादी की समस्या, 5% आबादी भूखण्डों के आवंटन एवं धनराशि वितरण के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा दिनांक 05.03.2020 को भूलेख विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक की गयी। महोदया द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुसार दी गयी टाईम लाईन का पालन न किये जाने पर नाराजगी व्यक्त की गयी। महोदया के द्वारा पूर्व में ग्राम बदौली एवं मोरना के आबादी भूखण्डों के निस्तारण किये जाने हेतु कमेटी के निर्देश दिये गये थे परन्तु अभी तक पत्रावली प्रस्तुत न किये जाने पर अधिकारियों को फटकार लगायी तथा इन ग्रामों की रिपोर्ट स्पॉट की साफ फोटो सहित 2 दिनों में पत्रावली प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

कृषक संगठनों के द्वारा लगातार आबादी के प्रकरणों के निस्तारण की मांग की जा रही थी इसको गम्भीरता से लेते हुये मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा 20 ग्रामों में सर्वे किये जाने का रोस्टर जारी कराया गया है जिसके अनुसार मोमनाथल में दिनांक 06.03.2020, गेझा तिलपताबाद में 11.03.2020, झटटा में 12.03.2020, छपरौली बांगर में 13.03.2020, तिलवाड़ा में 16.03.2020, पर्थला खंजरपुर में 17.03.2020, इलाबांस में 18.03.2020, भूड़ा में 19.03.2020, गढ़ी समस्तपुर में 20.03.2020, हाजीपुर में 23.03.2020, शर्फाबाद में 24.03.2020, बहलोलपुर में 25.03.2020, रोहिल्लापुर में 26.03.2020, गुलावली में 27.03.2020, बसी ब्रहउददीननगर में, 30.03.2020, लखनावली में 31.03.2020, काम्बक्शपुर में 01.04.2020, कुलेसरा में 02.04.2020, मोहियापुर में 03.04.2020 एवं रसूलपुर नवादा में 06.04.2020 को सर्वे किया जायेगा। सर्वे की रिर्पोट तत्काल मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया को अवलोकित करायी जायेगी जिससे इस महत्वपूर्ण कार्य में कोई विलम्ब न हो।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि प्रत्येक सप्ताह में कमेटी की बैठक रख कर आबादी के प्रकरणों का निस्तारण कराया जाये तथा इसका भी एक रोस्टर बना लिया जाये।

5ख एवं 5ग के प्रकरणों में जिलाधिकारी एवं शासन को जो पत्र प्रोषित किये जाने है उसे एक सप्ताह में चिन्हित कर प्रेषित कराया जाये।

महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि 5% आबादी भूखण्ड आवंटन एवं धनराशि वितरण के जितने भी प्रकरण लम्बित हैं उसकी सूची बनाकर उनके सामने प्रस्तुत की जाये तथा 15 दिनों के भीतर समस्त प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। कोई भी प्रकरण भूलेख विभाग में लम्बित न रखा जाये।

औद्योगिक एवं संस्थागत भूमि की मांग को दृष्टिगत रखते हुये मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा निर्देशित किया गया कि भूलेख विभाग, नियोजन विभाग से समन्वय कर दो औद्योगिक सैक्टर एवं एक संस्थागत सैक्टर में भूखण्डों के आवंटन हेतु योजना लाये जाने हेतु भूमि का अधिग्रहण मार्च माह में पूर्ण करा लें।

CS Scanned with CamScanner

क्र.स.	ग्राम का नाम	सर्वे किये जाने की तिथि	तहसीलदार
1.	मोमनाथल	06.03.2020	श्री बीर सिंह
2.	गेझा तिलपताबाद	11.03.2020	श्री विनीत मिश्र
3.	झटटा	12.03.2020	श्री राजीव मोहन
4.	छपरौली बाँगर	13.03.2020	श्रीमती कल्पना सिंह
5.	तिलवाडा	16.03.2020	श्री बीर सिंह
6.	पर्थला खंजरपुर	17.03.2020	श्री विनीत मिश्र
7.	इलाहबांस	18.03.2020	श्री राजीव मोहन
8.	भूडा	19.03.2020	श्रीमती कल्पना सिंह
9.	गढ़ी समस्तपुर	20.03.2020	श्री बीर सिंह
10.	हाजीपुर	23.03.2020	श्री विनीत मिश्र
11.	शर्फाबाद	24.03.2020	श्री राजीव मोहन
12.	बहलोलपुर	25.03.2020	श्रीमती कल्पना सिंह
13.	रोहिल्लापुर	26.03.2020	श्री बीर सिंह
14.	गुलावली	27.03.2020	श्री विनीत मिश्र
15.	बसी ब्रहाउददीननगर	30.03.2020	श्री राजीव मोहन
16.	लखनावली	31.03.2020	श्रीमती कल्पना सिंह
17.	काम्बक्शपुर	01.04.2020	श्री बीर सिंह
18.	कुलेसरा	02.04.2020	श्री विनीत मिश्र
19.	मोहियापुर	03.04.2020	श्री राजीव मोहन
20.	रसूलपुर नवादा	06.04.2020	श्रीमती कल्पना सिंह

Scanned with CamScanner